



पत्र संख्या- 361/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़



दिनांक- 30.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.11.2024 को थाना जीयनपुर व स्वाट पुलिस टीम द्वारा 48.06 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 04 लाख 80 हजार रुपए) के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया है।

### थाना-जीयनपुर: 48.06 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 04 लाख 80 हजार रुपए) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

#### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 30.11.2024 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा मय हमराह ,उ0नि0 सुभाष तिवारी चौकी प्रभारी इमिलिया मय हमराह, उ0नि0 अजय यादव चौकी प्रभारी अजमतगढ़, उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव तथा स्वाट टीम प्रभारी सेकेण्ड उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह के साथ मऊ बार्डर वैरियर ईमिलिया पर संदिग्ध वाहन/ व्यक्तियों की चेकिंग किया जा रहा था कि एक सफेद कार मारुति आती दिखाई दी जिसमें 03 व्यक्ति सवार थे जिन्हे रोककर चेक करने पर अभियुक्तों के कब्जे से 04 पैकेट व 01 प्लास्टिक के झोले में कुल 48.06 किग्रा0 अवैध गांजा कीमत लगभग 04 लाख 80 हजार रूपये ,01 सेलेरियो कार रंग सफेद ,04 अदद मोबाईल फोन व कुल 4270/- रूपये नकद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 531/2024 धारा 8/20 NDPS ACT. बनाम 01. रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 भभूति यादव निवासी चरउवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष 2. अंकित जायसवाल पुत्र पन्ना लाल जायसवाल निवासी बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष 3. अनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सन्तु निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायलय किया गया।

#### अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग जनपद जौनपुर से गांजा 5000 रूपये लेकर आते है जिसे आजमगढ़ में थोड़ा-थोड़ा फुटकर लगभग 10000 रूपये में बेचकर पैसा कमाते हैं। बेचने से प्राप्त फायदे को आपस में बाँटकर अपना जीविकोपार्जन करते है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

01. अनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सन्तु निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष
01. मु0अ0सं0 30/2021 धारा 8/20 NDPS Act. थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 531/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
02. रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 भभूति यादव निवासी चरउवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष
01. मु0अ0सं0 531/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
03. अंकित जायसवाल पुत्र पन्ना लाल जायसवाल निवासी बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष
01. मु0अ0सं0 531/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### बरामदगी का विवरण:-

01. कुल 48.06 किलोग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 04 लाख 80 हजार रुपए)
02. एक अदद मारुति सुजुकि सेलेरियो कार
03. 04 अदद मोबाईल फोन
04. कुल 4270/- रूपये नकद

#### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 531/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 अजय यादव मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह स्वाट टीम-II प्रभारी जनपद आजमगढ़

